

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 में प्रकाशनार्थ)

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 31 OCT 2002

अधिसूचना

का.नि.आ. 239 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा (संशोधन) नियम, 2002 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 2001 में,-
 - (i) "ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी", "ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर/संयुक्त निदेशक", "सिविलियन स्टाफ आफिसर" और "सहायक सिविलियन स्टाफ आफिसर" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां भी वे आते हैं, क्रमशः "प्रधान निदेशक", "संयुक्त निदेशक", "उप निदेशक" और "सेक्शन आफिसर" शब्द रखे जाएंगे ।
 - (ii) "गुणागुण द्वारा चयन" या "चयन-सह-ज्येष्ठता" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां भी वे आते हैं "चयन" शब्द रखा जाएगा ।

नृप कृ फूकन .

(एन. के. फूकन)

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
(फाइल सं. ए/21403/मुप्रअ/आस-II)

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र के का.नि.आ. 87 दिनांक 01 मई 2001 द्वारा तारीख 26 मई 2001 को प्रकाशित किए गए ।